अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर

रा.रा.मार्ग नं.–8 बड़लिया चौराहा, नारेली मंदिर के पास,
अजमेर, 305025

Website: www.ecajmer.ac.in   Telephone : 0145- 2971024
E-mail : principal@ecajmer.ac.in

अगअ / संस्थापन / 2022 / 81   दिनांक 16-07-2022

अति–आवश्यक

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखने में आया है कि महाविद्यालय के कई कार्मिक महाविद्यालय के निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते है एवं कई कार्मिक उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर नहीं करते है तथा कई कार्मिक महाविद्यालय के निर्धारित समय के अन्दर बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व सूचना/अनुमति के चले जाते है, जिससे महाविद्यालय के राजकीय कार्य के सम्पादन में एवं महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं के कार्य सम्पादन में बहुत कठिनाई होती है ।

महाविद्यालय के कई कार्मिक बिना सूचना के पूर्व में अवकाश स्वीकृत करवाये बिना ही आवकाश का उपभोग कर लेते है, जिससे भी महाविद्यालय के कार्य सम्पादन में बहुत कठिनाई होती है ।

अतः महाविद्यलाय के समस्त कार्मिकों(शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक) को निर्देशित किया जाता है कि अवकाश का उपभोग करने से पूर्व संबंधित विभागाध्यक्ष/सैक्शन इंचार्ज को सूचित कर अवकाश उचित माध्यम के द्वारा स्वीकृत करवाने के पश्चात अवकाश का उपभोग करे, साथ ही महाविद्यालय के निर्धारित समय पर उपस्थित होकर, उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करे, जिससे महाविद्यालय के कार्य एवं छात्र–छात्राओं के कार्य का सम्पादन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी ।

यदि कोई कार्मिक किसी प्रकार के आदेशों की अवहेलना करता है अथवा राजस्थान सेवा नियमों की पालना सुनिशिचित नहीं करता है, तो उस संबंधित कार्मिक के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित स्वयं कार्मिक की होगी ।

प्राचार्य

अगअ/2022/854-859

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को पालनार्थ (वेब साईट द्वारा):–

1 समस्त विभागाध्यक्ष/सैक्शन इंचार्ज को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्था सुनिुश्चित करें ।
2 कुलसचिव को आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है ।
3 उप कुलसचिव (वित्त) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
4 संस्थापनशाखा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5 समस्त कार्मिकों को पालनार्थ हेतु प्रेषित है ।
6 रक्षक पत्रावली ।

प्राचार्य